oll

# डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए..पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों ७५ / अप्रैल / 2015 / दि.09.04.2015 सेवा में. अतिआवश्यकीय

जिला पूर्ति अधिकारी अधिकारी,

खाद्य एवं रसद विभाग,जनपद फर्रूखाबाद।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु। महोदय,

में डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित खाद्य एवं रसद विभाग उ.प्र. से संबंधित पूर्तियों की व्यवस्थाओं, उनके मानकों एवं भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रुखाबाद जिले में संचालित खाद्य एवं रसद विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राशन—कोटेदारों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रूखाबाद जनपद में संचालित खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों लाइसेंसघारक कोटेदारों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:--09--04--2015

क्रिट्ट (डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई—दिल्ली—110002 Dr. NEETU SINGH

Post Boctoral Fellow. University Grant Commission, Dell' elV

## डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.पी-एव.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों किस्ते / मार्च / 2015 / दि.**१२**.03.2015 सेवा में,

अतिआवश्यकीय

जिलाविद्यालय निरीक्षक,

फर्रूखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-फर्रूखाबाद जनपद के साधारण जनसमाज-दरिद्रों के शिक्षण निरीक्षण अध्ययन में सहयोग हेतु। महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रूखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण—अध्ययन में कार्यरत हूं तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं में शिक्षण समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित सरकारी एवं गैर—सरकारी तथा सार्वजनिक—निजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं आदि विद्यालयों की व्यवस्था एवं उनके मानकों की स्थितियों को जानने हेतु जनपद फर्रूखाबाद में संचालित विद्यालयों के पदाधिकारियों व प्रबंध समिति सदस्यों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रूखाबाद जनपद में संचालित सरकारी, गैर-सरकारी, अनुदानित, गैर-अनुदानित, स्विवत्तपोषी सार्वजनिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत पदाधिकारियों एवं प्रबंध समितियों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-12-03-2015

(डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002<sub>H</sub>

Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Deihi

ol/

# डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांकः—मीमों 🗢 🗅 / अप्रैल / 2015 / दि.09.04.2015 सेवा में.

अतिआवश्यकीय

मुख्य विकास अधिकारी,

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु। महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रूखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित जिला विकास विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं, उनके मानकों एवं भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रूखाबाद जिले में संचालित विकास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद में संचालित जिला विकास विभाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

y-2015

दिनांक:-09-04-2015

्रील हैं (डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002

Post Doctoral Fallow
University Grant Commission, Delhi

Dunlicate SP FAIEHGARH R.S. 2000 EU436603216IN Counter No:1.0P-Code:02 TO: SUFFICINTENDANT, POST OFFICE FATEHGARH, PIN: 209601 From: NEETU SINGH . DURGA COLONY FATEHGARH

Wt:50orams.

Amt:17.00 .08/03/2016 .12:44

TaxestRs.2.00K<Track on www.indiabost.cov. / निवासपता / मार्च / दि.07.3.2016

#### **तोमर,** एम.ए.,पी–एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

न आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

मोबाइल-09389766228, 7376681850 अति-आवश्यकीय एवं त्वरित कार्यवाही हेतु

सेवा में

डाक अधीक्षक, डाकघर फतेहगढ़, ज्नपद-फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय:—मेरे संशोधित पता म.सं. 79 / 180, दुर्गाकालोनी, लोकोरोड,फतेहगढ़ पर डाक उपलब्ध कराने हेतु महोदय.

में डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) पत्नी एन.सिंह सेंगर जो कि स्व.श्री लालाराम मिश्रा के मकान संख्या—1/36 बजाजा फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद, पिन.209601 में सपरिवार निवास कर रही थीं तथा दिनांक 29-2-2016 को अपने किराए के निवास में परिवर्तन कर वर्तमान में श्री चंद्रपाल सिंह गहरवार के मकान संख्या 79/180, दुर्गाकालोनी, भदौरिया वाली गली, लोकोरोड, भोलेपुर, फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद, पिन-209601 में निवासी हूँ तथा मैं डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) या मेरे पति एन.सिंह सेंगर के पूर्व पता 1/36, बजाजा, फतेहगढ़ के नाम से आने वाले पत्र-डाक को अपने वर्तमान निवास पता मकान संख्या 79 / 180, दुर्गा कालोनी, भोलेपुर, फतेहगढ़ के पते पर प्राप्त करना चाहती हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) या नरेन्द्र सिंह सेंगर के नाम से पूर्व निवास पता मकान संख्या 1/36, बजाजा, फतेहगढ पर आने वाले पत्र—डाक मेरे वर्तमान निवास पता मकान संख्या 79/180, दुर्गाकालोनी, भोलेपुर, फतेहगढ पर उपलब्ध करा कर, प्राप्त कराने का कष्ट करें। सधन्यवाद।

आदर सहित। दिनांक:-07-03-2016

(डॉ. नीत् सिंह तोमर)

एम.ए.,पी-एच.डी., समाजशास्त्र

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली मोबाइल-9389**78622NE** \$37668 850

University Grain wo

2098010101 (209801) RLA RU395816934TH Counter No:1,0P-Code:02 To:C M S. FARRUNHARAD, PIN:209625

All-harder all 1948

रामर,एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टोरल फेले

ारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

Wt:2Ourams. PS:22.00. . 22/04/2017 . 11:34 </he>

OLL

पत्रांकः—्१। /अप्रैल/2017/दिनांक 20.04..2017

फोन 9389766228

सेवा में,

अति आवश्यकीय

सी.एम.एस.,

डॉ.आर.एम.लोहिया हास्पीटल–पुरूष, आवास विकास, जनपद फर्रुखाबाद।

विषय:-सामान्य जनता के लिए स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित व्यवस्था का अवलोकन मे सहयोग हेतु। महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (असिस्टेंट प्रोफेसर केडर), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली-110002, दिर व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण में कार्यरत हैं। फर्रुखाबाद के दिर व्यक्तियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में स्वास्थ्य केंद्र डॉ आर.एम.लोहिया हास्पीटल फर्रुखाबाद की चिकित्सा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति एवं रोगियों एवं उनके सहयोगियों की समस्याओं के अवलोकन-जनसम्पर्क में आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे है कि डॉ आर.एम.लोहिया हास्पीटल फर्रूखाबाद की चिकित्सा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा रोगी एवं उनके सहयोगियों की समस्याओं के अवलोकन—जनसंपर्क में पदाधिकारियों सहित स्वयं अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

सदभावनाओं सहित।

भवदीया

(डॉ.नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-110002

Post Doctoral Fellow University Grant Commission, Dela-

दिनांक:-20.04.2017

RL KOTWALI ROAD (209601) A RU539406703IN Counter No:1, DP-Code:02 TWIPRINCIPAL, PREM KRISHNA SDC

Shahjahanpur H.O, PIN:242001 From:DR.NEETU SINSH , UNIVERSITY GRANT COMMISSION DE 2 claret 20 3 201) Wt:20grams, PS:22.00, ,20/05/2017 ,13:29 ((Track on www.indiapost.gov.in))

#### **तोमर,** एम.ए.,पी–एच.डी.(समाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

न आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

निवास–अपरंदुर्गा कालोनी, लोकोरोड, फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद-209601

पत्रांक-२.७/17/मई-17/दि.19.5.2017

मोबाइल-09389766228, 9455709093

सेवा में प्राचार्य. पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित प्रेम किशन खन्ना राजकीय डिग्री कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।

विषयः आप द्वारा प्रेषित पत्र पंजीकृत डाक संख्या आरयू587444410इन एवं संलग्नक डॉ.उमेश कुमार शाक्य का महोदय.

आपके द्वारा प्रेषित पत्र जो मेरे द्वारा प्रेषित पत्रांक:214/17/मई-17/दि.1.5.2017 के संदर्भ में संगोष्ठी के संयोजक डॉ.उमेश कुमार शाक्य से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्नकों सहित आप द्वारा सूचनार्थ है। संलग्नक में डॉ.उमेश कुमार शाक्य द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण में वर्णित कथन असत्य एवं भ्रामक हैं। जबकि पुस्तक प्रकाशन में संगोध्ठी मानकों सहित पुस्तक के मुख्य-अंदर पृष्ठों पर कालेज का नाम, संपादक मंडल, कालेज प्राचार्य-समितियों के नाम व संगोष्ठी की गतिविधियों के विस्तृत विवरण की जबरदस्त उपेक्षा तथा पुस्तक के मुख्य एवं अंतिम पृष्ठ पर मात्र डॉ.उमेश कुमार शाक्य का नाम एवं उमेश के पिता श्री छोटेलाल शाक्य व माता श्रीमती सरोज शाक्य के चरणों में पुस्तक समर्पण व पुस्तक मूल्य 600 प्रकाशन बावजूद पुस्तक को संगोष्ठी मानकरूप कहना अनुचित एवं अवैध है।

महोदय, 12/2017-18/संगोष्ठी/दि.22.4.2017 के साथ संलग्नक एवं मूल्य लेकर उपलब्ध पुस्तक "भारत में उच्च शिक्षा दशा एवं चुनौतियों जो कि नेशनल सेमिनार से प्रथक एवं डॉ.उमेश शाक्य के निजी स्वःलाभ तक सीमिति है और इस निजी पुस्तक में डॉ.शाक्य द्वारा जो मैटर प्रकाशित किया गया है वह जी.डी.सी.जलालाबाद में दि.27–28 फरवरी 2016 नेशनल सेमिनार में प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का मैटर होने के बावजूद पुस्तक में कालेज-सेमिनार संबंधी विवरण सेमिनार कमेटी, कालेज प्राचार्य, सेमिनार वैधता के बारे में कुछ भी नहीं लिखकर अपने माता-पिता को पुस्तक समर्पित की गई है, जिसके कारण प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का दुरूपयोग से जहाँ डॉ.उमेश को पुस्तक का निजी लाभ सहित पुस्तक का मूल्य रू.600 लाभ प्राप्त हो रहा है वहीं प्रतिभागियों को सेमिनार का उद्देश्य अभी तक अधूरा बना हुआ है।

महोदय, डॉ.उमेश शाक्य ने जो स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए हैं वे पूर्णतया असत्य, भ्रामक एवं निरस्त होने योग्य हैं। डॉ.उमेश द्वारा निजी पुस्तक "भारत में उच्च शिक्षा : दशा एवं चुनौतियाँ" का मेरे सहित न जाने कितनों से पुस्तक मूल्य लेकर संपादन का निजी प्रकाशन-शैक्षिक लाम लिया गया होगा? जिसमें संगोष्ठी में प्रस्तुतियों को जबरदस्त दुरूपयोग कर निजी लाभ हेतु प्रकाशित कराया है। प्रकाशन में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्देश्य, शोधपत्रों का दुरूपयोग व संगोष्ठी के मानकों की जबरदस्त उपेक्षा की गई है।

महोदय, राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रस्तुतियों के दुरूपयोग एवं सेमिनार मानको की उपेक्षा से प्रकाशित अवैध व अमानक पुस्तक को निरस्त कर प्रस्तुतियों को मानकीय जर्नल में प्रकाशित कराया जाना आवाश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, दि.27-28 फरवरी 2016 को आयोजित राष्ट्रीय संगोध्ठी प्रस्तुतियों के दुरूपयोग एवं संगोष्ठी मानको की उपेक्षा से प्रकाशित अवैध-अमानक पुस्तक को तत्काल निरस्त कर, प्रस्तुतियों सहित मेरी प्रस्तुति उच्च शिक्षाःविद्या विधान एवं संस्थान'(फर्रूखाबाद जनपद के कालेजों का वर्तमान स्वरूप) को सेमिनार-जर्नल में प्रकाशित कराकर प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आदर सहित।

दिनांक:-19-05-2017

पोस्ट बॉक्क्स Maria स्वाप्त समाजशास्त्र पोस्ट बॉक्क्स Maria स्वाप्त समाजशास्त्र Post Declara f University Grant Commission, Deby

#### **डॉ.नीतू सिंह तोमर,** एम.ए.,पी—एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002 पत्रांक— २५८ /२०१७ /निवासपता/जौलाई/दि.३१.०७.२०१७ मोबाइल—09389766228, 7376681850 सेवा में,

डाक अधीक्षक,

डाकघर फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषयःमेरे संशोधित पता म.सं / 171,आवास विकास(डायमंड पैलेस के सामने) पर पत्र उपलब्ध कराने हेतु महोदय,

मैं डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) पत्नी एन.सिंह सेंगर जो कि स्व.श्री लालाराम मिश्रा के मकान संख्या—1/36 बजाजा फतेहगढ़, जनपद फर्रू खाबाद, पिन.209601को वर्ष 2016 में छोड़ने के उपरांत श्री चंद्रपाल सिंह गहरवार के मकान संख्या 79/180, दुर्गाकालोनी, लोकोरोड, भोलेपुर, फतेहगढ़, जनपद फर्रू खाबाद में सपरिवार निवास कर रही थीं तथा दिनांक 2—7—2017 को मैंने अपने किराए के निवास में परिवर्तन कर वर्तमान में श्री बाबूराम यादव के मकान संख्या 1/171, डायमंड पैलेस के सामने, आवास विकास, फर्रू खाबाद, पिन—209625 में निवासी हूँ तथा में डॉ. नीतू सिंह तोमर पत्नी एन.सिंह सेंगर के पूर्व पता पर आने वाले पत्र—डाक मेरे वर्तमान निवास पता डॉ.नीतू सिंह तोमर मार्पत श्री बाबूराम यादव के मकान संख्या 1/171, डायमंड पैलेस के सामने, आवास विकास, फर्रू खाबाद, पिन—209625 उपलब्ध कराए जाने हेतु दिनांक 4.7.2017 को श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर चुकी हूँ इसके बावजूद मेरे उक्त पते पर आने वाले पत्र मुझे उपलब्ध न होकर डाक विभाग द्वारा प्रेषक को वापस लौटाए जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि डॉ. नीतू सिंह तोमर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह सेंगर के पूर्व निवास पता मकान संख्या 1/36, बजाजा, फतेहगढ या म.सं.79/180, दुर्गाकालोनी, लोको रोड, भोलेपुर, पर आने वाले पत्र—डाक मेरे वर्तमान निवास पता डॉ.नीतू सिंह तोमर मार्पत श्री बाबूराम यादव के मकान संख्या 1/171, डायमंड पैलेस के सामने, आवास विकास, फर्रूखाबाद, पिन—209625 पर उपलब्ध करा कर, मुझे प्राप्त कराने की कृपा करें। सधन्यवाद।

आदर सहित। दिनांक:-31-07-2017

संलग्नक दि.04.7.2017 को प्रेषित पत्र की फोटास्टेट प्रति


(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

पास्ट डाक्टारल फला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

Dr. NEETU SINGH

A.P.M. (Wall)
Fatehgarh H.O.
Pin 209 601

de



आवास सक्रम 15 में 28ने वाले महत्त्व, के दलाहा दलाल असलम का अर्थेश कळा। ने अनुसन्तिर नाप्ति को आयादिय आवास तर पहसीय कात्रमंग्राम किवासी विकड़ा वर्ग की सम्मीता नामक सहिला का अवैध्य कळ्या क्रिका की नालू किलीम वर्ष 2016-2017 BRIZEMON . में व्यक्तिमा आयास मिला है। - 0 आयाम मंक्रम कि रहन बाल त्रीवा का अवुल कक्या विभागी कर्म भी रहेने नहीं आमा। त्याभावीं का नरकसा स्थित महेन्द्र श्रीस समिस के सामने मुख्यमार्श पर निजी आवास। 2012/00 Cross (16) 06 के देस आवास में कि है वाली रेशमा क्षेत्र. हिवारी की आम-(न्याभीम हत्यार) में खरीया, जो कि अमुल है। (18) 41 ने काहर के ताप्राण्डिय तस्यांशी दल्दर कालुका में भागरंत महत्त्र नामक्री कर्रानारी का अवैधा कळा। CHIE CO G (19) 469 जुलाहे 2016 में कपने 40000 (त्याकीस हजार) में जरीयकर BICKERSII - 3FULFA LIGHTE रहने नाले संजाभ पार्वेभ डा० जागरीश पिए कई संगीन थाराओं भे त्य मेकरम् विनातात्त्वीय है । अवन अवास वर्गासम् उद्भ क्षा (20) 09 131 हन आवा मी' भे गत वर्ष तक प्रति आवास कि राजा का प्रति हमा। निमान किरामे पाल आवाम काम विद्यालम सन्वालित हो रहे में। 180 -> इन आवामी में प्रति आवाम काम विद्यालम सन्वालित हो रहे में। भिरामे पर भागशाला नामक विसालमं दी-दी शिक्टों में 31121 a Licux संन्यालित हो रहे हैं। - 0 अतः स्रीमांन जिलाचिकारी महीदम ही सावनम निवेदन है कि उत्राचन आयाती, न्यहण माजीताम व्याव्याचा द्वापति गाहिंता कु समस्य आयास्य की उच्चत्तरीय निव्यक्ष कान्य कराकर आवास पाने हे नीनेत आवासही नलामा तिरवारी, की आवास आवाह प छित्र नान का आहें हा अमें साहिष करने का सवह की । आपकी भहान क्या ही भी

#### सन्दर्भ की स्थिति देखें/Track Complaint Status

जनसुनवाई पोर्टल द्वारा केवल 3 माह पूर्व तक के निस्तारित सन्दर्भों का विवरण देखा जा सकेगा

4

GET REFERENCE NO. THROUGH YOUR REGISTERED MOBILE NO./EMAIL

शिकायत संख्या/Complaint Number \*

11000180132155

आवेदन का विवरण

शिकायत संख्या

11000180132155

आवेदक कर्ता का नाम:

नीतू सिंह तोमर (पोस्ट डाक्टेरल फेलो)

आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:

9389766228,7376681850

विषय:

दरिद्र कल्याण योजनाओं के फर्जीबाडा असहाय विडो वृद्धा पेशन एवं अत्योदर गृहस्थ र

नियत तियिः

11 - Jul - 2018

शिकायत की स्थितिः

लम्बित

रिमाइंडर :

फीडबैक :

फीडबैक की स्थिति:

#### आवेदन का संलग्नक

**असंतरनक देखें** 

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	आदेश दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	
	आख्या	अमित सिंह(विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय)	08 - Jun - 2018	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -समाज कल्याण विभाग	कृपया रि गई है।
2	आख्या	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (समाज कल्याण विभाग )	12 - Jun - 2018	निदेशक -समाज कल्याण	नियमन्
3	आख्या	निदेशक (समाज कल्याण )	13 - Jun - 2018	जिला समाज कल्याण अधिकारी- फर्रुखाबाद,समाज कल्याण विभाग	नियमन्

सबमिट करें

बन्द करें

प्रतिक्रिया

तामर, पोस्ट डाक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह एफर मार्ग, नई दिल्ली-110001 पत्रक-256/अप्रैल-2018/दिनांक-04-2018 मोबाइल:-9389766228, 7378681850 737ATR 2018 अप्रत-2018/ दिनाक- त्व - 2018 प्रतिदा महामहिन राज्यपाल. राज्यपाल प्रतिदा उत्तर प्रदेश शासन लखनक। सी- प्रतिदेश कल्याण योजनाओं के फजीबाई असहाय विडो-द्वा अति आवश्यकीय एवं गोपनीय विषयः दरिद्र कल्याण योजनाओं के फर्जी गृहस्य राशन के दुर्पयोग पर अंकुश हेतु। मैंने दरिद्रों की समस्याओं से निरीक्षण हेतु अन्त्योदय, बी.पी.एल., अन्त्योदय, विधवा-परिद्र-वृद्धा पेंशन, अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी राजन सुचियों लेकर फर्सखाबाद जिले के 7 ब्लाकों की 317 ग्रामसभाओं व 6 नगरों के 117 वार्डस में घर-घर जाकर व्यक्तियों की दरिद्रता की स्थिति का अयलोकन एवं वार्ता कर ब्यान लिखे। जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त तथ्य निम्नलिखित है। फर्लखाबाद जिले के ग्रामीण व नगर क्षेत्रों में दिरेद्रों के स्थान पर फर्जी दिरेद्रों को असहाव विद्धो-वृद्धा-बिकलांग-समाजवादी पेंशन एवं अन्त्योदय-बी.पी.एल.राशन, आवास-शौचालय लाभ मिला/जारी है। इन अन्त्योदय धाएकों में 90-100%, कोटा राशन धारकों मे 70% एवं बी.पी.एल. घारकों 80-90% एवं असडाय वृद्धा-विधया-विकलांग एवं समाजवादी प्रेशन धारकों में 80-85 %, लोहिया-एन्द्रा आवास. शौचालय. गैस-विद्युत कनेक्शन पाने वाले सक्षम व्यक्ति-परिवार हैं, जिनमें अधि शंरा के पास बड़े लेंटर मकान, नगरों में हवेलियाँ, कार, भोटरसाइकिल, कार, ट्रेक्टर, ट्रक, द्कान, व्यापार, नौकरी, पेशन, मूर्नि, प्लाट्स, उद्योग, प्रतिष्ठान, पैठ्विक वन-सम्पत्ति आदि का स्वागित्व हैं। अधिकांश युद्धों-विधवाओं के लड़के शादीशुदा सक्षन व्यक्ति हैं। अधिकांश विकलांन पेशनर्श ऐसे हैं जो गूर्ण कम-से स्वस्थ्य-सदाम या मामूली घोट निशान या 40% से बहुत कम अपंगता होने और पर्याप्त पैतिक आय-सम्पत्ति के बावपूद पेंशन से रहे हैं तथा अनेक व्यक्ति और उनके परिधान नाम, जाति-वर्ग बदल कर एक ही परिवार में अनेक पेंशन-राशन से रहे ैं। दरिद्रों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं का लाग फर्जी दरिद्रों हारा हड़पा जा रहा है और इस फर्जीबाढ़ों में स्थानीय अमितियों तथा भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों का सहयोग-संक्षण जारी है। जिसके कारण राष्ट्रीय विकास योजनाओं का धन दुर्पयोग होकर यरिव्रता उन्मूलन योजनाएँ दरिव्रता विकास में बदली हुई है। 2. गरीबों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं में निर्पारित नियमों की उपेक्षा कर फर्रुखाबाद जनपद में रजिस्टर्स-फर्जी दरिद्वों हांच अर्थात् रहीसाँ द्वारा बढ़ी मात्रा में गरीबाँ का गेंहू घायल, तेल, चीनी, सरकारी इंदिरा-लोहिया-काशीराम आयास, जमीन-प्लाट पट्टा, उद्योग, बीमा, समाजवादी-वृद्धा-असहाय-विधवा-विकलांग पेंशन, दान-अनुदान व राष्ट्रीय सम्मान आदि फर्जीबाझा से हड्डप कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं 🎝 रेडी हैं। सांसद एवं विधायक निवियों एवं हेंडपम्प तथा विकास का धन सार्वजनिक स्थलों-स्कूलों के 134.18 स्थान पर न लगाकर रहीसों के निजी आवासों, प्लाटों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में लगाए गए/जा रहे हैं। राशन-कोटे की दूकानें निवर्ध-स्क्रीयों को वास्त्रित होकर विवस्त के ऋप में वास्ता-जैस ब्लैक हो रहा है। वासन दूकाने निवसित नही खुलही है कर एक के मात्र 1–2 दिन खुलकर अधिकारियों की अनुपस्थित में थोड़ा–बहुत रारान वितरण होकर कागजी खानापूर्ति हो रहीं है। इन दुकानों ते किट का राशन—तेल ब्लैक होकर खुलेआम बाजार की दूकानों पर बिक रहा है। जिल के अधिकांश ग्राम समियालयों, बरातगृहों, सहकारी समितियों, स्वास्थ्य भवनों में दबेंगे ने ताले डालकर अवैध कस्जे कर लिए हैं। स्वास्थ्य विमाग के अधिकांश केंद्र-उपकेंद्रों पर चिकित्सक की जगह वार्डब्याय एवं सकाईकर्मी रोगियों का इलाज कर रहे हैं ा-सुबंकि अनेक चिकित्सक-फार्माशिस्ट स्थास्थ्य केंद्रों पर यदाकदा जाकर उपस्थित साइन करते हैं। सरकारी स्कूलों में एस.एम.सी.एवं आचार्य-प्राचार्यों के फर्जीबाड़े चरम पर हैं। अधिकांश सरकारी विद्यालयों छात्रहीन, शिक्षणदिहीन एवं शिक्षक बाहुत्य हैं। इन विद्यालुगुं, में जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश निजी स्कूलों में पढ़ने वाले एवं कभी भी स्कूल न आने वाले भट्टाअमिक-कबाड़ी बच्चे हैं। फर्जी छात्र संख्या के आधार पर सरकारी स्कूलों में नीकरी-मर्ती जारी रखने के एदेश्योफर्जीबाडे घरम पर हैं। इन स्कूलों राष्ट्रपाल ज लक्ष्मक की एस.एम.सी.के अध्यक्षों सहित रसोइयों अध्य संबंधित स्कूलों में न पढ़ने एवं निरक्षर होने के बावजूद इनकी पदासीनता मेहरवानी पर आधारित है। इन स्कूलों में पढ़ाई स्तर अत्यन्त निम्न एवं घोटाला अत्यन्त उच्च है। ep 460 अधिकांश गावाँ में सफाई कर्मचारी के पट पर उच्च-पिछड़ी जाति-दर्ग के व्यक्ति पदासीन है जो रवयं गलियाँ-नालियाँ सफाई नहीं K

करते हैं और बाल्मीक जाति के श्रमिकों को 200 रूपए दिहासी मजदूरी देकर यदा-कदा गांव-सफाई कार्य की खानापूर्वि कराते हैं तथा ग्राम प्रधान एवं ए.डी.ओ.पंचायत को वेतन का कुछ हिस्सा निर्यामित देकर अपनी फर्जी क्यूटी की उपस्थित हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर स्वयं बिना काम किए वेतन के नाम पर सरकारी धन हड़प कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। इस तरह रहीस प्रियालन परिवार फर्जी दरिद्र बनकर सरकारी सुख-सुविधाओं को भीग कर मौज कर रहे हैं। जबकि वास्तविक दरिद्र ए.पी.एल.धारक पार्शिशनकार्डविहीन होने से बुरी तरह दिरद्वता प्रसित व संपर्धस्त है।

WT 1300 8

28.5

केंद्र-प्रदेश सरकार द्वारा संघालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाम की पात्रता, आवेदन, स्वीकृत एवं धन आबंटन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें शासन के प्रशासकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की निगरानी एवं जयाबदेही उत्तरवायित्त निर्धारित है। इसके बावजूद फर्जी दरिद्रों द्वारा दुर्पयोग व वास्तविक दरिद्रों को लाभ की उपेक्षा देश—समाज के लिए घातक है।

क्रिक्त क्रम्बर्ग सहित खनुरोध है कि दरिद कल्याण याजनाओं अन्योदय, बीपीएल.. असहाय दिवया-वृद्धा-बिकलांग पेशन, आवास दि भागिनासाम् । असहाय विद्युत कनेक्शन लाभ में मानकीय दरियों मात्र को ही देकर एवं योजनाओं का लाभ दुर्पयोग-हदपने कुले फर्जी दरियोंस अनुभवित्य दहनीय-वसूली कार्यवाही कर सरकारी धन के हार्योग पर शंकर एवं योजनाओं का लाभ दुर्पयोग-हदपने कुले फर्जी दरियोस दहनीय-वसूली कार्यवाही कर सरकारी धन के दुर्पयोग पर अंकुश लगाने का कच्ट करें। स्वान्ययाद।

आवर सहित। दिनांक:-04-2018

THE PLANT

(जें. नीतू सिंह सोमर)

NEETU SINGH

मिले हैं और शिक्षक-शिक्षकाएं पढ़ाने के स्थान पर आपस में हास-परिहास करते मिले है तथा जनपद के लगभग 90 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न मिला है, जो अति गंभीर तथ्य है

8—यह कि, जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय मिले हैं जहाँ सक्षम व्यक्ति धन-पद के प्रभाव में अपने निवास स्थान के विद्यालय में पदासीन हैं और उ.प्र. कर्मचारी आचरण संहिता एवं शिक्षा मानको की जबरदस्त उपेक्षा कर ट्यूशन-कोचिंग व्यापार सहित राजनीतिक दलों में सक्रिय होकर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं।

9—यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त एवं शिक्षकों का अभाव है वहाँ बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कक्षाओं के जाकर शिक्षण कार्य करने में योगदान नहीं दे रहे हैं।

10-यह कि, शैक्षिक सत्र 16-17 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को अब तक पुस्तकें एवं ड्रेस न दिया जाने से छात्रों के लिए ड्रेस एवं पुस्तकों की उपयोगिता और औचित्य नहीं रह गया है।

11—यह कि, जिले के प्राइवेट एवं कांवेण्ट स्कूलों में बड़ी आयु के नर्सरी से कक्षा 5 के छात्र बने मिले हैं जिन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक पढ़ने के बावजूद जब उन्हें कोई योग्यता नहीं मिली तो पढ़ने—योग्यता के लिए यहाँ आकर निम्न कक्षाओं में एडमीशन लेना पड़ा और मन लगा कर पढ़ रहे हैं।

12—यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई न होने के कराण वह प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं, वहीं पढ़ने जाते हैं यदा—कदा यहाँ आकर खाना, ड्रेस, पुस्तकें ले जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो हमें प्राइवेट स्कूल से बुला लिया जाता है।

13-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में रसोइया एवं मिड-डे-मील व्यवस्था पृथक होने के बावजूद एक ही स्थान पर खाना बनता है और आंगनबाड़ी के बच्चे भी खाते हैं।

14-यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनाप-शनाप धन व्यय किया जा रहा है इसके बावजूद ग्रामसभा के सफाईकर्मी से काम कराया जाना उचित नहीं है।

15—यह कि, उक्त स्थिति में केंद्र एव राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शिक्षा मानक, शिक्षक तथा शिक्षण व्यवस्थाएँ आदि छात्र—छात्राओं एवं साधारण जन—समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो रहीं हैं।

16—यह कि, जिल के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई न होने एवं छात्रों के अज्ञानी बने रहने कारण कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने प्रतिपाल्य को किसी भी स्थिति में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ कि सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले रसोइया, प्रेरक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., डी.सी., ए.बी.एस.ए., बी.एस.ए. सहित सरकारी कर्मचारी—अधिकारी और नेता पदासीनता का वेतन—भत्तों की मोटी रकमें लेने के बावजूद अपने प्रतिपाल्यों को इन विद्यालयों पढ़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर अपने प्रतिपाल्यों का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता है।

अतः अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। शिक्षकों-प्रबंधतत्रों के फर्जीबाड़ों, फर्जी छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों-अनुदेशकों का वेतन, निजी आवास के पास स्कूल में तैनाती, छात्र हितों एवं मानकों की उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर, मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जाना चाहिए। आदर सहित।

दिनांक-24-07-2016

(डॉ.नीतू सिंह तौंमर) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई–दिल्ली–110002

Post Doctoral Peritor.
University Genth Confinition, Delite

de

# डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांकः—मीमों ७९ /अप्रैल / २०१५ / दि.०९.०४.२०१५

अतिआवश्यकीय

सेवा में,

जिला आलू विकास / उद्यान / कृषि / सिचाई / पशुपालन / मत्स / वन अधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-फर्रूखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु। महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित जिला आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन विभाग से संबंधित व्यवस्था एवं उनके मानकों तथा भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रुखाबाद जनपद में संचालित आपसे संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद में संचालित आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन्म/मत्स/वन विमाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-04-2015

्री ल है (डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

Dr. NBE আ GINGH
Pool Doctoral Fellow.
বিষ্ণাধিতাভাবি অধিপূদাশ জী যাগী,

नई-दिल्ली-110002

de

# डॉ.नीतू सिंह सेंगर, एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों ०९ / अप्रैल / 2015 / दि.09.04.2015 सेवा में.

अतिआवश्यकीय

जिला आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन अधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-फर्रूखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु। महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित जिला आलू विकास / उद्यान / कृषि / सिचाई / पशुपालन / मत्स / वन विभाग से संबंधित व्यवस्था एवं उनके मानकों तथा भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रुखाबाद जनपद में संचालित आपसे संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रूखाबाद जनपद में संचालित आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन विमाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-04-2015

्रिलाहे (डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

( वारेण्ड सहायक).

## डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र) प्रोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002

पुलिस अधीक्षक जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश।

विषय— दरिद्र व्यक्तियों की स्थिति के अवलोकन में सहयोग के स्थान पर म.हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज किसाननगला फर्रुखाबाद के लोगों की अभद्रता और अराजकता।

महोदय.

मैं डॉ.नीतू सिंहं सेगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली—110002, जो कि फर्रूखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण-अध्ययन में कार्यरत हूं तथा दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं तथा उनके कारण और निवारण जानने हेतु जनपद फर्रूखाबाद के किसानन नगला बढपुर फर्जूखाबाद—नगर में दिनांक 12—03—2015 को जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में इसी मुहल्ले के निवासी राकेश पाण्डेय पुत्र रमेश पाण्डेय ने सामूहिक रूप से अपने को गरीब बताते हुए कहा कि इसी मुहल्ले के हिरश्चंद्र बी.एइ.कालेज में चपरासी पद पर वर्ष 2003 से चपरासी पद पर सुबह 8 से 5 बजे तक ड्यूटी करता है और उसे मात्र 2000 रूपये वेतन है जिससे उसका गुजारा नहीं हो पाता है। मैंने पूछा कि सरकारी मानक के अनुसार आपको वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, क्या आपने अपनी समस्या कालेज के प्राचार्य से बताई है? तो उन्होंने जबाब में बताया कि मैं जिस हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज में काम करता हूं उसके मालिक के अनेक कालेज बाहर भी चलते हैं और वही सब कुछ व्यवस्था देखते हैं कालेज में न कोई पढ़ने वाला है और न कोई पढ़ाने वाला इस लिए कालेज में पढ़ाई तो होती ही नहीं है तो प्राचिय और टीचर के नाम पर मात्र खानापूर्ति होती है और कार्यरत लोगों को मेरे जैसा, ऐसा ही वेतन मिल पाता है जिससे कालेज के कर्मचारी—शिक्षक मेरे जैसा गरीबी झेलने को मजदूर हैं, हमारी स्थिति देखने सुनने वाला कोई नहीं है अतः हमारी बी.पी. एल. के लिए संस्तुति दे दो तो मैंने उसकी समस्या के निराकरण हेतु कालेज प्रबंधक से सम्पर्क कर बात करने को कहा।

महोदय, किसानन नगला फर्रूखाबाद में दि0 12-03-2014 को जनसंपर्क करते हुए पूर्वान्ह 11 बजे जब मैं हिरिश्चंद बी.एड.कालेज गेट के सामने निकली तो कालेज में कोई नहीं दिखा और मैं आगे बढ़ गई तो कालेज के उसी कर्मचारी रमेशपांडेय ने आबाज देकर कहा कि यहाँ आइए आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं,तो मै लौटकर अपने पित एन. सिहं सेंगर के साथ हरिचंद्र बी.एड. कालेज गई वहाँ राहुल तिवारी नामक व्यक्ति ने अपने को प्रबंधक बताते हुए कहा कि तुम्हारी हमारे कालेज के लोगों से पूछतांछ करने की हिम्मत कैसे पड़ी मेरी ताकत को नहीं जानते अभी तुम्हें बताता हूँ व अभद्रता करते हुए यू.जी.सी. द्वारा नियुक्त के कागज दिखाने को कहा तथा कागज दिखाने पर हमारे कागज छीन लिए और कुछ आवश्यक प्रपन्न फाड डाले तथा बबाल करते हुए मारपीट करने की बात कहकर अभद्रता करके दहशत उत्पन्न की व पुलिस को पकड़ाकर बंद कराने की धमकी दी। तथा पुलिस बुलाने की बात कहने पर बदमाश ठाइप के लोग बोले कि हमारी ताकत से पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती तथा मोहल्ले वालो के हस्तक्षेप से हम कालेज से निकल सके।

उक्त घटना से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि महाराजा हरिश्चंद बी.एड.कालेज फर्रूखाबाद के लोगों द्वारा सरकारी और शिक्षा के मानको की जबरदस्त उपेक्षा कर अराजकता और दहशत के प्रभाव में गरीब-बेरोजगार लोगों से बेगार कराकर तथा छात्रों का शोषण कर डिग्री-नकल नाम पर धनउगाही से अवैध लाम कमाकर समाज को दरिद्र बनाया जा रहा है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि महा. हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज फर्रूखाबाद में मेरे साथ हुई अभद्रता में शामिल लोगों के बिस्द्व दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही कर समाज को अराजकता से मुक्त कराने का कष्ट करें। सधन्यवाद।

आदर सहित। दिनांक:-12-03-2015 डॉ.नीतू सिंह सेंगर) पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालम् सम्बद्धाः निर्माणम् । Post Doddin विकाली - 110002

OLV

de

## डॉ.नीतू सिंह सेंगर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल,

दि.07.03.2015

माध्यम,

उत्तर-प्रदेश सरकार, राजभवन, लखनऊ। जिलाधिकरी,

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के साधारण जनसमाज-दरिद्रों के हितों की सुरक्षार्थ ज्ञापन। महोदय,

फर्रूखाबाद जनपद के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक-सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था में निर्धारित मानको की उपेक्षाओं के कारण साधारण जनता अति गंभीर समस्याओं से बुरी तरह संधर्षरत है। सार्वजनिक हितों की सुरक्षार्थ अधोलिखित समस्याएं-सुझाव आपके समक्ष विचार हेतु सादर प्रेषित हैं: यहिक, सरकारी कोटे की वस्तुओं को जनता में वितरण हेतु बने राशनकार्डस में अंत्योदय—बी.पी.एल. कार्ड गरीबों को न देकर धनीवर्ग के लोगों एवं ए.पी.एल.कार्ड दरिद्रों को दिए गए हैं तथा राशन की वस्तुएं कोटेदारों द्वारा ब्लैक में बेंचकर बंदरबांट होता है एवं गरीबों का विकासधन हडप लिया जाता है। 2- यहकि, सरकारी विकास की योजनाओं के अंतर्गत गरीबों में वितरित होने वाले आवास भूमि,लोन,पशु, शौचालय,बीमा वास्तविक पात्रों को न देकर अधिकांश लाभ अमीरों-नेताओं के संबंधियों को दिए गए हैं। 3- यहिक, फर्मों,फैक्टरियों,कारखानों,होटलों,नर्सिंगहोम,स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को पंजीकृत किए बिना 12-14 घंटे काम लेकर मात्र 2-3 हजार रूपए खैरातदेकर अमानुषिक शोषण कियाजा रहा है 4- यहकि, संस्थाओं में जनसंपर्क अधिकारियों,निरीक्षण-विजिट आवश्यक रजिस्टरों का पूर्णता अमाव है। 5- यहकि,पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में चक्रीय आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद पुनःपदासीनता हो रही है 6- यहिक, संस्थाओं के अनेक कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ से अपने मूल आवास के नगर-मुहल्लों में तैनाती पाकर,राजनैतिक मंचों पर भाषणवाजी-दबंगई से ठेका-व्यापार लेकर घन उगाही की जा रही है। 7-यहिक, सरकारी निधियों का अनाप-शनाप धन दरिद्र एस.सी.-एस.टी.पर व्यय होने के बावजूद जिले का संपूर्ण एस.टी. एवं अधिकांश एस.सी.भूमिहीन,कंगाल,बेरोजगार,,असहाय,अनपढ,दरिद्र,रोगी बना हुआ है। 8- यहिक, ईंट भट्टों व कोल्डस्टोर्स की लेबर्स, उनके परिजनों की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई है। 9- यहिक, ईंट उद्योग स्वामियों द्वारा की गई 10-12 फुट भू-खुदाई के गढ्ढे जनता के लिए संकट हैं 10- यहकि, भीड़ भरे बाजारों-बस्तियों में पशु-पक्षियों की कटी-मुंजी लटकी लहशें आतंक का प्रतीक हैं 11- यहिक, प्रत्येक स्तर की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष-प्रबंधक विद्यालय भूमि दान में लेकर व भवनों के निमार्ण हेतु सरकारी अनुदान लेकर तथा छात्रों से बिद्रिडग-फीस लेने के बावजूद विद्यालयों को अपनी निजी सम्पत्ति कहकर सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का जबरदस्त दुरूपयोग कर लाभ कमा रहे हैं। 12- यहिक अधिकांश संस्थाओं की प्रबंध-समितियों के निर्माण एवं संचालन में निर्धारित मानकों की जबरदस्त उपेक्षा होकर धनी-व्यक्ति विशेष वर्ग के लोग एवं उनके परिजन सगे-संबंधी मनमाने ढंग से पदासीन बने हुए हैं जिनकी सदस्यता, निर्वाचन, मनोनयन, पदासीनता, कार्यवाहियां पूर्णतया फर्जी ढंग से संचालित होती हैं और साधारणजनों के हितों की जबरदस्त उपेक्षाकर निजी लाभ कमाने में जुटे हुए हैं।

उक्त स्थितियों में जिले की जनता बुरी तरह समस्याग्रस्त है, अतः मानकों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध दंडनीय कार्यवाही कर जनहितों की सुरक्षार्थ मानक अनुरूप संस्थाओं की व्यवस्था प्रदान करें। आदर सहित।

दिनांक:-07-03-2015

(डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

विश्वविद्यालय अनुदान अपयोगि पर्-दिल्ली-110002

Dr. NEET Fallow Post Doctorn Fallow Holversity Grant Commission, Dent Holversity Grant Commission

# डॉ.नीतू सिंह सेंगर, एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

सेवा में

अध्यक्ष जिलाशिक्षा समिति

द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद।।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति।

मैंने माह फरवरी 2015 में फर्रूखाबाद जनपद के नगर-ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 50 प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखी एवं शिक्षकों, रसोइयों, शिक्षामित्रों, प्रेरकों, स्वीपरो, अभिभावकों, छात्र-छात्राओं से बातचीत की। मैंने निरीक्षण में अधिकांश विद्यालयों को अधीलिखित गंभीर समस्याओं से ग्रसित पाया। 1-जनपद के अधिकांश विद्यालयों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक-शिक्षकाएं अपने पैतिक-निजी निवास के नगर-मुहल्लों में तैनाती पाकर तथा विद्यालय की धन-सम्पत्ति का दुरूपयोग का फर्जीबाड़ा कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कर स्वलाभ कमाने में जुटे हुए हैं एवं शिक्षणकार्य की जबरदस्त उपेक्षा कर रहे हैं। 2-अधिकांश विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकाएं अपने प्रतिपाल्यों सगे-संबंधियों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने को प्रोत्साहित कर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को बुरी तरह हतोत्साहित कर रहे हैं 3- विद्यालयों के अधिकांश छात्र-छात्राओं को निर्धारित पोशाकें नहीं दी गईं हैं, जिन्हें पोशाकें मिली हैं उनमें अधिकांश को मानक प्रतिकूल रेडीमेड पोशाकें दी गई हैं,अनेक छात्रों को 1 पोशाक ही दी गई है। 4- अनेक विद्यालयों के मिडडेमील में गंभीर अनियमितता देखने को मिली। खाद्य सामग्री के फजी बिल बाउचर, छात्रों की मनमानी संख्या, चूल्हे के धुआयुक्त प्रदूषित शिक्षणकक्ष, मानक प्रतिकूल भोजन, 1 रोटी या कुछ तलेचावल का लंच, 2-4 छात्रों पर अनेक रसोइये, सडीगली सब्जीयुक्त भोजन व्यवस्थाएं देखीं। 5-विद्यालयों में आंगनबाड़ी एवं प्रेरको तथा फर्जी शिक्षकों का दबदबा एवं बाहरी लोगों को पढ़ाते देखा। 6-क्षेत्र के अनेक विद्यालय अपने निर्घारित क्षेत्र के स्थान पर दूर-दराज के क्षेत्रों में चलते देखे जहां अनेक शिक्षक-स्टाफ होने के बावजूद वास्तविक छात्र विहीन हैं और उनके शिक्षक अपने घर पर ही मिडडेमील आदि की खानपूर्ति कर सरकारी वेतन भुगतान ले रहे हैं एवं दबंगई से बिलमुतान हो रहा है। 7-विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र गरीब परिवारों से जुड़े मिल और विकसित-धनी परिवारों के छात्र नहीं मिले जिसके कारणों में पता चला कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पढ़ाने के कोई रूचि नहीं रखते हैं। 8-अनेक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था 50-60 वर्ष पुरानी होने के बावजूद कुछ दबंग विद्यालय भवन को अपनी निजी संपत्ति बताकर अतिक्रण कर शिक्षण अवरोध कर रहे है तथा किराए के स्कूलों कें भवन स्वामियों द्वारा उ.प्र. किराया अधिनियम का जबरदस्त उल्लंघन कर अराजकता की जा रही है।


9-अनेक किराए के विद्यालयों में दबंगों द्वारा अवैध कब्जा दिखाई दिया एवं कार्यवाही की उपेक्षा दिखी। 10.अधिकांश में अग्निशमन, फर्स्टएड, शौचालय रसोई, विद्युत, फर्नीचर आदि बुनियादी व्यवस्था का अभाव मिला तथा अनके विद्यालयों में गंदगी दिखी, पानी के नल जाम दिखे, सप्लाई के नल जर्जर-टुटे मिले। 11.हाथीखाना विद्यालय लघुकमरे से जुड़ी टीनशेड में 2 विद्यालय चलते देखे जहां छात्रों की उपेक्षा देखी 12—अधिकांश विद्यालयों की छतें टूटी—जर्जर मिली, विद्यालयों के मुख्य कक्षों में कबाड भरा कब्जा देखा। 13—छात्रों के नामों को उल्लासीधा जोड़कर शिक्षण के नाम पर अनेक फर्जी योजनाओं के चलते देखा।

मेरे द्वारा निरीक्षण के उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद नगर-ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक विद्यालय बुरी तरह दरिद्रताग्रसित है जहां सरकारी विकास की योजनाएं पूर्णतया उपेक्षित दिखाई दे रही है जिस पर प्रशासन व शासन की गंभीरता एवं संवेदनात्मक सक्रियता अद्गि आवश्यक है। आदर सहित।

दिनांक:-03-03-2015

(डॉ.नीतू सिंह सँगर) पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदुान आयोग



## डॉ.नीतू सिंह तोमर,एम.ए.,पी-एव.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांकः —2457 जौलाई / 2017 / दि.08 10.2017 सेवा में.

मोबाइल-9389766228 अति गोपनीय एवं आवश्यकीय

मुख्यमंत्री,

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

विषय: IGRSपोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ सं.15000170276870 दि.24.8.17 में डूडा फर्रूखाबाद की आख्या का खंडन

मेरे द्वारा दिनांक 14-7-2017 को प्रेषित पत्रांक-228/जुलाई/2017/दि 14.7.2017 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही के अन्तर्गत-IGRSपोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ सं.15000170276870 दि.24.8.17 पर डूडा फर्रुखाबाद की आख्या पत्रांक-520/IGRS/2017-18/दि.18.9.17 में वर्णित कथन-तथ्य आधारहीन, भ्रामक, असत्य है। जो सरकारी योजनाओं सहित देश और समाज के हितों को प्रभावित करने वाले हैं।

काशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैध कब्जों के संबंध में मेरे द्वारा आपको प्रेषित अनुरोध-पत्र पर आप द्वारा की गई कार्यवाही के अंतर्गत परियोजनाधिकारी जिला नगर विकास अभिकरण फर्रूखाबाद ने उचित दायित्व निर्वहन नहीं किया है। जबिक उक्त प्रकरण में उन्हें सरकारी संहिताओं का अनुपालन करते हुए गरीबों के लिए बने आवासों के आबंटन में व्याप्त अनियमितता दूर कर अपात्र आबंटियों एवं अवैध निवासियों के कब्जे हटाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी जिसकी उपेक्षा की गई है।

महोदय, मैं डॉ.नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई जो कि फर्रुखाबाद जिले के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण—संग्रह कर रही हूँ। मैंने दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के संग्रह—निरीक्षण में सहयोग हेतु फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी, मुख्यविकास अधिकारी, उपजिलाधिकारियों सिहत संस्था—विभागों के प्रमुखों को अनुरोध—पत्र देकर कार्य में सहयोग मांगा था। दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के संग्रह—निरीक्षण कार्य में 7 ब्लाकों की 316 ग्राम सभाओं एवं 6 नगरों के 117 वार्डस के घर—घर जाकर जन—सम्पर्क एवं दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के अब तक संग्रह—निरीक्षण—जनसम्पर्क में जनपद के सामान्यजनों का भरपूर स्नेह व सहयोग मिला है।

महोदय, फर्रूखाबाद नगर के गरीबों हेतु बने सरकारी आवास मा.काशीराम शहरी गरीब आवासों में घर—घर जाकर दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण किया तो पाया कि. 'आवासों के वास्तविक आबंटियों में अधिकांश धनी—व्यापारी चल—अचल सम्पत्ति के स्वामी हैं जो अपने निजी मकानों में रहते हैं जिन्होंने अपने नाम आबंटित आवास वर्तमान निवासियों को बेंच दिए है तथा वर्तमान निवासियों को 100 रूपए स्टाम्प पर बिक्रीनामा—नोटरी पत्र दिए है। ऐसी स्थिति में वास्तविक गरीबों को आवास उपेक्षित है।"

अतः आपसे अनुरोध है कि, परियोजनाधिकारी जिला नगर विकास अभिकरण फर्रूखाबाद द्वारा प्रेषित आख्या निरस्त कर मा.कां.श.गरीब आवासों के आबंटनों में व्याप्त अनियमितताओं, फर्जी गरीबों को आबंटन, वर्तमान निवासियों के अवैध कब्जों के विरूद्ध उच्चस्तरीय कार्यवाही जनहित में अवश्य करने का कष्ट करें।

आदर सहित।

दिनांक 08-10-2017

संलग्नक-(1) अध्यक्ष-सचिव, जिला नगरीय विकास अभिकरण को प्रेषित पत्र की प्रति।

(2) जिलाधिकारी फर्सखाबाद को प्रेषित पत्र दिनांक 14 -07-2017 के प्रति की फोटो स्टेट प्रति

(3) अध्यक्ष-सचिव नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद को प्रेषित पत्र की प्रति।

(4) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक 14.7.2017 की प्रति नई—दिल्ली—110002-14 (5) अमर उजाला फर्रुखाबाद में प्रकाशित अराजकतत्वों का अड्डा बनी कांशीराम कालोनी की फोटो स्टेट प्रति br. NEETU SINGH

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(बा पीत सिंह तोमर) 7

Post Doctoral Fellow.

de

oll

### डॉ.नीतू सिंह तोमर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक:- 122/मार्च/2016/दि:14.03.2016 सेवा में

मोबाइल 9389766228 गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

भहामहिम राष्ट्रपति १ प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली—110001.

विषय:-फर्रूखाबाद जनपद के प्राथमिक-जूनियर विद्यालयों में शिक्षण-छात्र उपेक्षा पर अंकुश लगाने हेतु। महोदय,

फर्रूखाबाद जनपद भ्रमण एवं जनसम्पर्क के दौरान मैंने फर्रूखाबाद जनपद में संचालित सैकड़ों सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर विद्यालयों तथा एडिड इंटर कालेजों में संचालित प्राइमरी एवं जूनियर कक्षाओं की व्यवस्था देखकर शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, सेवकों, रसोइयों, छात्र—छात्राओं, अभिभावकों, प्रबंधसमितियों के अध्यक्षों—सदस्यों एवं जनता से बातचीत की। जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित गंभीर अनियमितताएं—तथ्य प्रकट हुए। जिन पर अंकुश लगकर, प्राइमरी—जूनियर विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाना अति आवश्यक व समीचीन है। सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य—सुझाव कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित हैं।

1—यह कि,इंटर कालेजों में संचालित प्राइमरी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र—छात्राओं के पंजीकरण एवं मिड—डे—मील तथा प्रबंधसमितियों में अध्यक्ष—सदस्यों की पदासीनता में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं से मानकीय शिक्षण एवं छात्र—समाज की जरदस्त उपेक्षा देखने को मिली। इन कारणों से जहाँ एक ओर शिक्षण के मूल उद्देश्य बुरी तरह से प्रभावित होते मिले, वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों के शिक्षक—कर्मियों को बिना शिक्षण—कार्य के सरकारी वेतन की नौकरी सहित फर्जी कागजी खानापूर्ति के माध्यम से ड्रेस का धन एवं मिड—डे—मील का राशन हड़पा जाता मिला। अंकुश लगना चाहिए।

2—यह कि, जनपद क्षेत्र के एडिड कालेजों के प्राथमिक एवं जूनियर कक्षाओं में कार्यरत अधिकांश शिक्षक—कर्मचारी समान्य जनता के स्थान पर व्यक्ति विशेष के परिजन—सगे—संबंधी जाति विशेष के दबंग आपसी हितबद्ध हैं जो स्वयं विद्यालय शिक्षण कार्यों से प्रथक रहकर राजनीति में सक्रिय रहकर ठेकेदारी व्यापार में जुटे हुए हैं। यह स्कूली छात्रों को पढ़ानें में रूचि उत्पन्न करना तो क्या स्वयं भी पाठ्य—पढ़ाई में कोई रूचि नहीं रखते हैं अर्थात् इनकी पात्रता एवं प्रमाणपत्र अति संदिग्ध संभावित है। इसके बावजूद शिक्षक का पद धारण कर प्रबंधतंत्रों के फर्जीबाड़े से वेतन हड़प रहे हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

3—यह कि, जनपद विद्यालयों के अधिकांश शिक्षक कर्मचारी धन एवं नेतागीरी के प्रभाव में सार्वजनिक स्थानान्तरण नीति की मनमानी उपेक्षा कर अपने निजी—पैतिक—स्थानीय आवासों के अति समीप दशकों से जमें हुए हैं एवं शिक्षणकार्य से दूर रहकर अवैध व्यापार लाभ कमाने में जुटे हैं। सरकारी वेतन भोगियों के ऐसे कार्य—प्रभाव जहाँ भ्रष्टाचार के द्योतक है, वहीं कर्मठता विध्वंशक हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

4—यह कि, जनपद के प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों में कार्यरत लगभग 76 शिक्षक ऐसे मिले या बताए गए जो उच्च अधिकारियों—नेताओं, ठेकादारों—माफियाओं के परिजन, सगे—सम्बन्धी आपसी हितबद्ध हैं जो स्कूल न जाकर अपने घर पर पंजिकाएं—रिकार्ड रखे हुए हैं और यह बिना कार्य सरकारी धन हड़प रहे हैं।

5—यह कि, अधिकांश सरकारी प्राथमिक—जूनियर विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यन्त कम होने के बावजूद कार्यरत शिक्षकों की संख्या अत्याधिक मिली है, इसके बावजूद छात्रसंख्या में फर्जीबाड़ा कर अनुदेशक तथा मनचाहे लोगों को कार्यरत किया गया है और एक ही कक्ष में अनेक स्कूल लगते मिले हैं।

6—यह कि, 95 प्रतिशत स्कूलों के रसोइया एवं प्र.स.अ.अमानक पदासीन मिले जिनके बच्चे छात्र नहीं हैं। 7-यह कि, विद्यालयों की प्रबंध-समितियों के चुनाव-गठन में निर्धारित प्रावधानों की जवरदस्त उपेक्षा कर अधिकांश प्रधानाध्यापकों द्वारा रसोइया के पति-बेटों-रिश्तेदारों को मनमाने ढंग से पदासीन कर फर्जी बैंठक-प्रस्तावों से कागजी खानापूर्ति कर मिड-डे-मील, ड्रेस, मेंटीनेंस का धन हड़पा जा रहा है। 8-यह कि,अधिकांश विद्यालयों विशेषकर नगर-गांव के स्कूलों में निरीक्षण, शिक्षक-छात्र उपस्थित, छात्रसंख्या, ड्यूटी फर्जी बन रही है और इनमें फर्जी छात्रसंख्या प्रभावी है। तत्काल अंकुश लगना चाहिए। 9-यह कि, स्कूलों में फर्जीबाड़ाकर छात्रों को मानकीय शिक्षा से वंचितकर, शैक्षिक योजनाओं के धन को बंदरबांट करने एवं विकास धन का दुरूपयोग कर स्वलाभ कमाने वालों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। 10-यहिक, जिले में संचालित इंटर कालेजों में जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों से हाई-स्कूल व इंटर कक्षाओं का मनमाने ढंग से अध्यापन कार्य(बंधुआ मजदूरों के रूप) लिया जा रहा है, तत्काल अंकुश लगना चाहिए। 11-यह कि, अधिकांश इंटर कालेजों के प्राथमिक-जूनियर छात्रों को मिलने वाला मिड-डे-मील छात्रों को न देकर शिक्षकों-प्रबंधकों द्वारा खाद्यात्र हड़पकर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है, तत्काल अंकुश लगना चाहिए। 12-यहिक, व्यक्ति-जाति विशेष के दबंग स्कूल प्रबंधतंत्रों एवं समितियों में मनमाने ढंग से पदासीन होकर स्कूलों की भूमि, दूकानों,भवनों की अनापशनाप आय-संपत्ति का दुरूपयोगकर रहे हैं, अंकुश लगना चाहिए। 13-यह कि, जिलें के विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक सरकारी खजाने से वेतन भुगतान लेने के बावजूद अन्य स्थानों, कालेजों, उद्योगों, संस्थानों, कंपनियों, एनजीओ. एवं राजनीतिक दलों में पदासीन होकर अवैध वेतन-भत्ते ले रहे हैं, अंकुश लगना चाहिए। 14-यहिक, जनपद के एडिड स्कूलों के अधिकांश प्रधानाध्यापकों-शिक्षकों के निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, एडिड स्कूलों को मिलने वाली सरकारी सुविधा-साधनों को यह लोग निजी स्कूलों में लगा रहे है। 15-यहकि, ट्रस्ट-समितियों एवं उनके पदाधिकारी-सदस्य अपनी निजी आय का भाग विद्यालयों को दान में न देकर उल्टे स्कूलों के विकास-धन, भवन, भूमि, दूकानों की आय व छात्रवृत्ति हड़प रहे हैं, अंकुश लगे। 16-यहिक, जनपद में संचालित अधिकांश एडिड विद्यालयों विशेषकर अल्पसंख्यक विद्यालयों की प्रबंधतंत्रों के सदस्यों द्वारा नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से जबरदस्त धन उगाही कर उनको नौकरी का झांसा देकर विद्यालयों में बंधुआ मजदूरों की भांति कार्य कराया जा रहा हैं एवं स्वीकृत पदों का वेतन अपने परिजनों, सगे-संबंधी आपसी हितबद्ध लोगों के नाम भुगतान लिया जा रहा हैं। तत्काल अंकुश लगना चाहिए। 17—यह कि, स्कूलों को अपनी विरासत-आय मानने वाले शिक्षकों-नेताओं के दबाव पर अंकुश लगना चाहिए। 18-यह कि, एडिड एवं सरकारी प्राइमरी-जूनियर स्कूलों में पंजीकृत अधिकांश छात्र-छात्राएं निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं जो स्कूलों के फर्जी पंजीकरण व बी.पी.एल.पेंशन तक सीमित हैं। अंकुश लगना चाहिए।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं, शिक्षकों-प्रबंधतत्रों के फर्जीबाड़े, शिक्षण-छात्र हितों की उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगा कर, मानकीय शिक्षण व्यवस्था लागू कर शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें। भवदीया

दिनांक-14-03-2016

(डॉ.नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delha